WCDC/M.S/Shakti Sadan/45/01/2025-26 - 2434/25

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(महिला एवं बाल विकास निगम)

–: संकल्प :–

पटना, दिनांक– 04.10.25

विषय :– **केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति योजना के उप योजना 'सामर्थ्य' के तहत शक्ति सदन योजना को राज्य में प्रवृत करने के निमित रूपया 20,20,82,000/– (बीस करोड़ बीस लाख बेरासी हजार रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय किये जाने तथा राज्य योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित 'अल्पावास गृह' को शक्ति सदन योजना में समाहित कर संचालन करने की स्वीकृति।**

महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15वें. वित्त आयोग की अवधि 2021–22 से 2025–26 तक के लिए मिशन शक्ति योजना के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के उप योजना 'सामर्थ्य' के तहत शक्ति सदन का संचालन किये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं एवं मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे राहत एवं पुनर्वास की सेवाएँ प्रदान की जाती है।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य में पूर्व से ही कठिन परिस्थितियों में रह रही एवं मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं को राहत पुनर्वास, आश्रय, भोजन एवं परामर्श आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत अल्पावास गृह का संचालन किया जा रहा है। दोनों योजनाओं के लक्षित समूह तथा योजना उद्देश्य के समरूपता को देखते हुए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत संचालित अल्पावास गृह को शक्ति सदन योजना में समाहित कर संचालित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समयक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 से मिशन शक्ति योजना के उप योजना 'सामर्थ्य' के तहत शक्ति सदन को राज्य में प्रवृत करते हुए पूर्व से राज्य योजना अन्तर्गत संचालित अल्पावास गृह को शक्ति सदन योजना में समाहित कर संचालन किये जाने एवं इसके निमित रूपया 20,20,82,000/– (बीस करोड़ बीस लाख बेरासी हजार रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. वर्तमान में शक्ति सदन योजना मिशन शक्ति के अन्तर्गत 15वें. वित्त आयोग की अवधि (2021–22 से 2025–26) तक के लिए स्वीकृत है। भविष्य में यदि मात्र अल्पावास गृह

योजना का ही संचालन किया जाना पड़े तो पूर्व के प्रावधानों/राज्य सरकार के निर्णयानुसार अल्पावास गृह योजना का संचालन किया जा सकेगा।

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय माँग सं0–51 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02 समाज कल्याण, लघु शीर्ष–103, महिला कल्याण, उपशीर्ष– 0234, मिशन शक्ति (सामर्थ्य)–शक्ति सदन विपत्र कोड–51–2235021030234 PFMS कोड– 3980 के अन्तर्गत उपलब्ध योजना उदव्यय/बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा। संगत शीर्ष में आवश्यकतानुसार राशि का प्रावधान आंतरिक सामंजन/अनुपूरक आगणन के माध्यम से किया जायेगा।

6. प्रस्ताव पर संचिका सं0– WCDC/M.S/Shakti Sadan/45/01/2025-26 के टिप्पणी पृष्ठ 16/टि0 पर दिनांक–03.10.2025 को मद सं0–37 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० 04/X/25

(नवीन कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– WCDC/M.S/Shakti Sadan/45/01/2025-26–2434/25 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह० 04/X/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– WCDC/M.S/Shakti Sadan/45/01/2025-26–2434/25 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 04/X/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– WCDC/M.S/Shakti Sadan/45/01/2025-26–2434/25 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, समाज

कल्याण निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04/x/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– WCDC/M.S/Shakti Sadan/45/01/2025-26–2434/25 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0)/सभी जिला परियोजना प्रबंधक (WCDC) बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

04/x/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– WCDC/M.S/Shakti Sadan/45/01/2025-26–2434/25 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/x/25

सरकार के अपर सचिव।